न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 13/2015/अपील

मंगतुराम पुत्र कुरड़ाराम, जाति बलाई, निवासी रसूलपुर, तहसील रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर (राजस्थान)।

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार, रामगढ़ शेखावाटी, सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री लक्ष्मण सिंह सुण्डा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधि. श्री रामावतार शर्मा उपस्थित आये।

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 10.06.2014 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट द्वारा तहसीलदार, रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांक : 13 नवम्बर, 2017

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि सरकारी भूमि खसरा नम्बर 20/2 रकबा 47.65 है. तन ग्राम रसूलपुर तहसील रामगढ़ शेखावाटी में स्थित है। अपीलांट एक गरीब बलाई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। जिसके पास आवास हेतु कोई भूमि नहीं होने पर करीब 35 वर्ष पूर्व सरकारी भूमि खसरा नम्बर 20/2 रकबा 47.65 है. में से 0.40 है. भूमि पर अपना बाड़ा व आवासीय पुख्ता मकानात निर्माण किया गया। अपीलांट का कब्जा नियमन योग्य होते हुए भी पटवारी हल्का ने तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी को रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की। जिस पर अपीलांट के विरूद्व नोटिस जारी होने पर जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपनी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका दिये बिना ही अपनी आज्ञा दिनांक 10.06. 2014 को बेदखल करने व तावान वसूल करने की आज्ञा पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.06.2014 को निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2014 कानून के विरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया तथा अपीलांट को बिना सुने ही अपना निर्णय पारित कर दिया। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अपीलांट का कब्जा नियमन योग्य था। अपीलांट का कब्जा नियमन होने में कोई कानूनी बाधा न होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट की विवादित भूमि के चारों तरफ गांव के अन्य लोगों के कब्जें हैं, जिसमें उन्होनें रिहायशी बाड़े पर मकानात बना रखे हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.06.2014 निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि विवादित खसरा नम्बर 20/2 वाके ग्राम रसूलपुर बंजड़ जोहड़ की भूमि है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जोहड़ की भूमि को प्रतिबंधित भूमि घोषित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

6. हमने योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(1) पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.05.2014 में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 20/2 रकबा 47.65 है. वाके ग्राम रसूलपुर **बंजड़ जोहड़** पर अपीलांट द्वारा मौके पर तारबन्दी कर कब्जाकर रखा है तथा एक पक्का कोठा निर्माणाधीन है।

(2) अपीलांट ने तहसीलदार सीकर के नोटिस दिनांक 23.05.2014 का जवाब दिनांक 10.06.2014 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट पिछले 18 वर्षों से उक्त भूमि पर निवास कर रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त गैर मु. भूमि पर सहवन से अतिक्रमण कर लिया गया है। प्रार्थी के पास उक्त भूमि का कोई दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं है। अपीलांट एक अल्प आय वर्ग का गरीब व्यक्ति है व अपीलांट के पास अन्य कोई आवास नहीं है। यदि उक्त भूमि अतिक्रमण क्षैत्र में पायी जाती है तो अपीलांट उसे स्वतः ही हटा लेगा जिस पर तहसीलदार रामगढ़ शेखावटी दिनांक 10.06.2014 द्वारा अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है।

(3) तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 10.06.2014 के तहत भूमि की किस्म **गै. मु. जोहड़** है, जो माननीय उच्च न्यायालय की रिट संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार वगै. के निर्णय से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिस पर अतिक्रमी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए अपीलांट मंगतुराम उक्त विवादित रकबे पर अतिक्रमी घोषित किया गया है एवं बेदखली आदेश दिया गया है तथा आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान राशि 1.72X50= 86/– रूपये पैनल्टी आरोपित की गई है।

7. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि **बंजड़ जोहड़** की भूमि है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भूमि घोषित किया गया है। अतः अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट मय स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 45/2015 **खारिज** की जाती है।
8. निर्णय आज दिनांक : 13 नवम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर